ायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सथूर

प्रार्थना पत्र संख्याः– 265 / प्रा0पत्र / 2020

1. विकास आयु 31 वर्ष आ0 रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी गायत्री नगर बून्दी, तहसील व जिला बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 21 / 10 / 2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 141 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 142 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम शोला की झौपडियां पटवार मण्डल सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार है एवं काबिज काश्त है। प्रार्थी के पिता रामकुमार जी का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी के पिता का नाम रामकुमार है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामकुंवार दर्ज कर रखा है जो अवैध एवं अशुद्व है। उक्त इन्द्राज शुद्व किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि में रामकुमार ही दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रामकुंवार अंकित किया हुआ है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पति का नाम रामकुंवार दर्ज किये जाने से पहचान के संबंध में काफी दिक्कत आती है। प्रार्थी ने जमाबंदी की नकल दिनांक 05.10.2020 को निकलवाई तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी को हुई और प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी मिलने के उपरान्त पटवारी हल्का को रामकुवार के स्थान पर रामकुमार दर्ज करने/संशोधित करने को अनुरोध किया लेकिन न्यायालय के आदेश के बिना इन्द्राज दुरूस्त करने से दिनांक 09.10.2020 को मना कर देने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में अपने पिता के नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवावे एवं रामकुंवार के स्थान पर रामकुमार दर्ज करवावें। भूमि ग्राम शोला की झोपडिया तहसील हिण्डोली में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शोला की झोपडियां पटवार हल्का सथूर की भूमि खसरा संख्या 141 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 142 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा की जमाबंदी में खातेदार के कॉलम में दर्ज विकास पुत्र रामकुंवार के स्थान पर विकास पुत्र रामकुमार का इन्द्राज कर गलत इन्द्राज को संशोधित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचयात सथूर में पेश हुई। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अपने पत्र क्रमांक :– राजस्व/21/140 दिनांक :– 21.10.2021 से विवादित भूमि की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने बहस सुने जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकुमार है जो सही है जिसे जमाबंदी खसरा संख्या 141,142 ग्राम शोला की झोपडिया पटवार मंडल सथूर में प्रार्थी के पिता का नाम रामकुंवार के स्थान पर रामकुमार दर्ज किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात छायाप्रति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा 2004 क्रम संख्या 327997, जयपुर नगर निगम मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या :– 311015840, ड्राईविंग लाईसेंस क्रमांक :– आ0जे0–08/डी0एल0सी0/2005/10760, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र क्रमांक :– **1X10280958** एवं स्थायी लेखा संख्या क्रमांक :– **AADHR6538M** एवं परिवार राशन कार्ड जिला रसद अधिकारी बून्दी क्रमांक :– 165 में भी प्रार्थी के पिता का नाम रामकुमार दर्ज है। अतः मुताबिक दस्तावेज के जमाबंदी में अंकित रामकुंवार के अंकन को विलोपित कर प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकुमार दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 130 की भूमि खसरा संख्या 141,142 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा ग्राम शोला की झौपडिया पटवार मंडल सथूर में प्राथी के पिता का नाम रामकुंवार के स्थान पर रामकुमार दर्ज करने आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र सथूर में सरेआम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली
हिण्डोली (बून्दी),

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

४४७